3562(E)
7/5/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक– 7/5/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

वैशाली पथ प्रमंडल, हाजीपुर के अन्तर्गत Construction of R.C.C. H.L. Bridge (2x8.00m, 2x16.00m & 2x10.00m) in 1st, 4th & 7th km of Chandpur-Bhataulia-Desri-Gajipur Road for the year 2016-17 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :

(i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(ii) श्री रत्नेश कुमार, संयुक्त सचिव–सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(iii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–778(अनु0) दिनांक–21.02.2019 द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	:	Construction of R.C.C. H.L. Bridge (2x8.00m, 2x16.00m & 2x10.00m) in 1st, 4th & 7th km of Chandpur-Bhataulia-Desri-Gajipur Road for the year 2016-17
2.2	एकरारनामा संख्या	:	03/ SBD/2017-18
2.3	एकरारनामा की राशि	:	₹6,01,88,947.00
2.4	संवेदक का नाम	:	Brij Construction Private Limited
2.5	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :–	:	03.04.2017
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :–	:	02.10.2018
2.7	वर्त्तमान में कार्य की स्थिति	:	75% कार्य पूर्ण।
2.8	मांग की गई समयवृद्धि की तिथि	:	31.05.2019

3. **समयवृद्धि का कारण :–**

(i) **बालू की अनुपलब्धता** :– बिहार सरकार, खान एवं भू–तत्व विभाग के पत्रांक–2286, दिनांक–23.08.2017 के द्वारा सूचित किया गया कि "माननीय सर्वोच्च न्यायालय/राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित न्यायादेश एवं राज्य के बालू बंदोबस्तधारियों को निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त्तों के आलोक में 01 जुलाई से 30 सितम्बर तक नदी तल से बालू का उत्खनन पूर्णतः प्रतिबंधित है।"

उपरोक्त के आलोक में संवेदक द्वारा सूचित किया गया कि दिनांक–17.11.2017 से 23.02.2018 तक बालू नहीं मिलने के कारण कार्य की प्रगति में बाधा उत्पन्न हुआ। संवेदक द्वारा इस मद में 98 दिनों का अवधि विस्तार का अनुरोध किया गया है जिसमें 85 दिनों की अनुशंसा कार्यपालक अभियंता द्वारा की गई है।

(ii) **गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि के कारण जल–जमाव** :– संवेदक द्वारा सूचित किया गया कि गंगा नदी क्षेत्र में कार्यस्थल होने के कारण नदी का जल स्तर में वृद्धि होने पर कार्यस्थल पर जल–जमाव होने लगता था। जिसके कारण कार्य करना संभव नहीं होता था। संवेदक द्वारा इस मद में

कुल 127 दिनों का अवधि विस्तार का अनुरोध किया गया है, जिसकी अनुशंसा कार्यपालक अभियंता द्वारा की गई है।

उपरोक्त कारणों के आलोक में कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संवेदक द्वारा 75% कार्य पूर्ण करा दिया गया है। समयवृद्धि हेतु अधीक्षण अभियंता द्वारा भी दिनांक–31.05.2019 तक के लिए अनुशंसा किया गया है।

4. **तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा :–**

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक–31.05.2019 तक समयवृद्धि इस शर्त्त के साथ स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा।

5. **विभागीय निविदा समिति का निर्णय :–**

5.1 मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–778(अनु0) दिनांक–21.02.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में वैशाली पथ प्रमंडल, हाजीपुर के अन्तर्गत Construction of R.C.C. H.L. Bridge (2x8.00m, 2x16.00m & 2x10.00m) in 1st, 4th & 7th km of Chandpur-Bhataulia-Desri-Gajipur Road for the year 2016-17 (एकरारनामा सं0–03/ SBD/2017-18) हेतु दिनांक–31.05.2019 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

07/05/19	7/5/19	7-5-19	7/5
(रामावतार साह) मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(लक्ष्मी नारायण दास) अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त सह–विशेष सचिव पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(रत्नेश कुमार) संयुक्त सचिव –सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(अमृत लाल मीणा) प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–प्र०–7/विविध (स०वृ०)–04–51/2019 3562(E) **पटना, दिनांक** 7/5/19

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, सारण पथ अंचल, हाजीपुर/कार्यपालक अभियंता, वैशाली पथ प्रमंडल, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

7/5/19
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।